न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(हरिताम कुमार आदित्य आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)

प्रा0पत्र संख्या :–246/2017

निर्णय दिनांक:–06.04..2018

उनवान

रामसहाय पुत्र धोलू जाति मीणा निवासी ग्राम छूरिया तहसील निवाई

–प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार निवाई

–प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 ले.रे.एक्ट

उपस्थितः– श्री रमेश कुमार शर्मा वकील प्रार्थी

निर्णय

वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि भूमि ख.नं. 357/4 रकबा 03–14 बीघा, ख.नं. 357/5 रकबा 09–06 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 13 बीघा वाके ग्राम छोरिया तह. निवाई में स्थित है। जो प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि है। भूमि ख.नं. 357 रकबा 13 बीघा का आवंटन प्रार्थी के नाम दिनांक 18.10.1977 को आवंटन कमेटी द्वारा विधिवत् रूप से आवंटन किया गया था तथा आवंटन के मूल आवंटन पत्र पर रामसहाय पुत्र धोलू दर्ज होने के बावजूद भी राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से व त्रुटिवश रामसहाय पुत्र धोलू के बजाय रामसहाय पुत्र छोटू अंकन कर दिया जो गलत है। जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं विधिसंगत है। ख.नं. 357 में वर्तमान में 1/3 हिस्से की खातेदारी भूमि का हक व हिस्सा प्रार्थी का है। अतः प्रा.पत्र पेश कर निवेदन है कि भूमि ख.नं. 357/4 रकबा 03–14 बीघा, ख.नं. 357/5 रकबा 09–06 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 13 बीघा वाके ग्राम छोरिया तह. निवाई में रामसहाय पुत्र छोटू के स्थान पर रामसहाय पुत्र धोलू संशोधित करने के आदेश प्रदान फरमावें।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षी तहसीलदार की ओर से इकबाली जवाब पेश किया गया कि ग्राम छौरिया की जमाबन्दी में वर्तमान में खाता सं. 357 रकबा 13 बीघा भूमि में रामसहाय पुत्र छोटू के स्थान पर रामसहाय पुत्र धोलू संशोधित करने हेतु श्रीमान् को प्रस्तुत है।

बहस सुनी गई। बहस का मनन व पत्रावली एवं दस्तावेजात का अवलोकन करने के पश्चात् न्यायालय इस नतीजे पर पहुंचा है कि मूल आवंटन पत्र पर रामसहाय पुत्र धोलू दर्ज होने के बावजूद भी राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से व त्रुटिवश रामसहाय पुत्र धोलू के बजाय रामसहाय पुत्र छोटू अंकन कर दिया जो गलत है। जिसे शुद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 136 ले.रे.एक्ट को स्वीकार किया जाता है। तथा ख.नं. 357/4 रकबा 03–14 बीघा, ख.नं. 357/5 रकबा 09–06 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 13 बीघा वाके ग्राम छोरिया तह. निवाई में रामसहाय पुत्र छोटू के बजाय रामसहाय पुत्र धोलू अंकन करने का आदेश तहसीलदार निवाई को दिया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 06.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

6/4/18

हरिताम कुमार आदित्य

(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी निवाई

47D:\Rajsw\Court\Faisale\Faisale.docx335

Scanned by CamScanner